न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
उपस्थितिः— गगन कुमार भारती (उ.प्र.न्यायिक सेवा)
मुकदमा नं.—176 / 2014
राज्य बनाम अमित दूबे
थानाः—शाहगंज, सोनभद्र
—ःआरोपः—

मैं, गगन कुमार भारती, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अमित दूबे को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः—

प्रथमः— यह कि दिनांक 16.03.2013 को समय 05.15 बजे बहद स्थान मेडिकल स्टोर स्थित शाहगंज में आप वादी मुकदमा को स्वेच्छया उपहति कारित करने के आशय से मार पीट कर चोटें कारित किया। इस प्रकार आपका यह कार्य धारा— 323 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप वादी को अपमानित करने के आशय से मॉ बहन की भद्दी —भद्दी गालियॉ देकर अपमानित किया जिससे यह सम्भाब्य था कि लोक शांति भंग हो सके या अन्य कोई अपराध कारित हो सके। इस प्रकार आपका यह कार्य धारा— 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप वादी मुकदमा को गम्भीर उपहति कारित करने के आशय से मार पीट कर चोटें कारित किया, जिससे वादी मुकदमा के हाथ में फैक्चर हो गया। इस प्रकार आप का यह कार्य धारा— 325 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों में आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

13.07.2016
दिनांक 13.07.2016 **(गगन कुमार भारती)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की मांग की।

13.07.2016
दिनांक 13.07.2016 **(गगन कुमार भारती)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र